

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
उन्नाव।
सा0वा0 वन प्रभाग,
उन्नाव।

f.p / UP / Trans / 2153R / 2016

विषय :- 765 के0 वी0 मैनपुरी-उन्नाव एकल परिपथ पारेषण लाइन के निर्माण में 6.9856 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि तथा 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
अवगत कराना है कि महा प्रबन्धक साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन क0 लि0 द्वारा विषयाकित कार्य हेतु 6.9856 हे0 वन भूमि तथा 59 वृक्षों के पातन हेतु परियोजना प्रस्तुत की गयी है। (प्रस्ताव की प्रति कार्यालय से प्राप्त करलें) उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण करते हुए संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, नजरी-नक्सा, न्यूनतम भूमि व अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र तथा संलग्न प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

✓
(वी0के0मिश्र)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं
वन्य जीव विभाग, उन्नाव।

पत्रांक 1599 / समदिनांक (रजिस्टर डाक)

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, साउथ ईस्ट उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 टिटानियम 601-602 6" प्लोट प्लॉट नं0 टीसी/जी-1/1 विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ को उनके कार्यालय की पत्र सं0 390/मैनपुरी-उन्नाव/2015-16 दि0 27.10.2016 के क्रम में प्रेषित कि प्रतिनिधि को निर्देशित कर दें कि क्षेत्रीय वनाधिकारी उन्नाव(मो0नं0 9415004787)से सम्पर्क कर प्रस्तावित स्थलों का संयुक्त निरीक्षण कराते हुए संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें। परियोजना में निम्न अभिलेख आप द्वारा संलग्न नहीं किये गये हैं, जिसे 5-5 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 1- मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण-पत्र।
- 2- भू-डिस्पोजल योजना निर्धारित प्रपत्र में।
- 3- वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- 4- जिसे रिफ्रेट-8 जैव की KML फाइल

✓
(वी0के0मिश्र)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं
वन्य जीव विभाग, उन्नाव।